[1] (163)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

रा.मा.क./ई–कोर्ट नं. 202206120300018 /धारा 40/
वर्ष 2021–22
ग्राम–कांपा

सत्य प्रतिलिपि

सुरेन्द्र दुबे
पंच, ग्राम पंचायत कांपा
तहसील व जिला महासमुन्द (छ.ग.) एवं अन्य 06 ....आवेदक पक्ष क्र. 01

विरूद्ध

गजानंद साहू
सरपंच, ग्राम पंचायत कांपा
तहसील व जिला महासमुन्द (छ.ग.) ....अनावेदक पक्ष क्र. 02

पारित आदेश

(दिनांक 02/08/2022**)**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सुरेन्द्र दुबे, पंच ग्राम पंचायत कांपा एवं अन्य 06 पंचगण ग्राम पंचायत कांपा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत कांपा के सरपंच गजानंद साहू द्वारा शासकीय राशि का बिना कार्य के राशि आहरण कर गबन किया गया है। 1. दिनांक 01.03.2021 को धान उपार्जन केन्द्र कांपा में समतलीकरण हेतु 15 वें वित्त मद से 48000/– रूपये अपने भाई गणेश साहू (मुकेश टेडर्स) का फर्जी बिल के नाम से आनलाईन पेमेंट किया गया है, जबकि इस कार्य हेतु ग्राम कांपा, गोपालपुर, मुस्की, खट्टीडीह एवं अमावश के किसानो से समतलीकरण हेतु 100–200 रूपये प्रत्येक किसान से चंदा किया गया है। 2. दिनांक 01.03.2021 को ग्राम कांपा के गली सफाई के नाम से 15वें वित्त मद की राशि अपने भाई गणेश साहू के नाम से राशि 2000/– रूपये ऑनलाईन भुगतान किया गया है। 3. दिनांक 01.03.2021 को ग्राम परसवानी में बिना गली सुदृढीकरण हेतु 15वे वित्त मद से अपने भाई गणेश साहू (मुकेश ट्रेडर्स) के नाम से 45000/– रूपये भुगतान किया गया है। 4. दिनांक 18.04.2021 को ग्राम कांपा में बिना गली सुदृढीकरण किये 15 वें वित्त मद से अपने भाई गणेश सहू (मुकेश ट्रेडर्स) का फर्जी बिल लगाकर 45000/– रूपये का फर्जी भुगतान किया गया है। 5. दिनांक 30.06.2021 को ग्राम कांपा के बड़े तालाब जाने के रास्ता में सी.सी. रोड मरम्मत के नाम से अपने भतीजा देवेन्द्र साहू (मुकेश ट्रेडर्स) का बिल लगाकर 15 वें वित्त मद से राशि 44100/– रूपये का फर्जी भुगतान किया गया है। 6. दिनांक 11.06.2020 एवं 29.06.2020 को जब पूरे छत्तीसगढ में लाकडाउन था उस समय कोरोना सेंटर में मजदूरों के लिए राशन सामान क्रय का हरषू किराना स्टोर्स रायपुर का बिल लगाकर 136150/– रूपये का 14 वें वित्त मद से भुगतान

सत्य प्रतिलिपि
तहसीलदार, महासमुन्द
05/08/2022

10रु. COURT FEE 10रु. भारत दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED सत्य प्रतिलिपि

10रु. COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि

किया गया है। विरूद्ध शासकीय राशि का गबन का जांच कराकर सरपंच पद से पृथक किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त शिकायत के आधार पर इस न्यायालय से गजानंद साहू, सरपंच ग्राम पंचायत कांपा को 07 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने ज्ञापन जारी किया गया।

गजानंद साहू सरपंच ग्राम पंचायत कांपा द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार :– धान उपार्जन केन्द्र कांपा का समतलीकरण हेतु 15 वें वित्त मद से राशि आहरण के संबंध में जनपद पंचायत महासमुन्द के आडिटर द्वारा विधिवत आडिट किया जा चुका है तथा आहरित राशि के व्यय बाबत् बिल इत्यादि ग्राम पंचायत कांपा में उपलब्ध है। ग्राम कांपा की गली के नाम से 15 वें वित्त मद की राशि अपने भाई गणेशराम साहू के नाम से 20000/– रूपये ऑन लाईन भुगतान किया गया । जिसके संबंध में गणेशराम साहू द्वारा अपने ट्रेक्टर एवं मजदुरों कें जरिये गली सफाई तथा कचरा फेंकने का बिल दिया गया है। ग्राम परसवानी के शासकीय प्राथमिक शाला परसवानी के स्कूल अंदर एवं स्कूल बाहर तथा विभिन्न गलियों में हाईवा के माध्यम से मुरम आपूर्ति कर गली का सुदृढीकरण कराया गया है जिसके संबंध में मुकेश ट्रेडर्स तुमगांव को व्यय राशि 45000/– रूपयें का भुगतान कार्य के अवलोकन के आधार किया गया है। ग्राम कांपा के गली सुदृढीकरण हेतु मुकेश ट्रेडर्स तुमगांव के जरिये काम कराया गया था जिसका समुचित बिल प्राप्त कर 15 वें वित्त मद से राशि आहरण कर 45000/– रूपयें मुकेश ट्रेडर्स तुमगांव को कार्य एवं व्यय अनुसार भुगतान किया गया है। ग्राम कांपा के बड़े तालाबजाने के रास्ते में सी.सी. रोड मरम्मत के संबंध में 44100/– 15 वें वित्त की राशि आहरण देवेन्द्र साहू, मुकेश ट्रेडर्स को फर्जी भुगतान के संबंध में ग्राम पंचायत कांपा द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया है। कोरोना सेंटर में मजदूरों के लिए राशन सामान कय का हर्षु किराना स्टोर्स रायपुर का बिल लगाकर 136150/– 14 वें वित्त से 100 मजदुरों के लिए आवश्यक सामग्री तुमगांव एवं महासमुन्द क्षेत्र मे किसी भी दुकानदार द्वारा नही दिया जा सका। जिस पर अनावेदक द्वारा हर्षु किराना स्टोर्स रायपुर से राशन लिया गया। पुरूषोत्तम मिर्धा से किसी भी प्रकार का गाली गलौच एवं मारपीट नही किया गया है। ग्राम कांपा निवासी सुरेन्द्र दुबे एवं विजय साहू के बच्चों के मध्य आम गली में लड़ाई झगड़ा और मारपीट हो रहा था जिसे देखकर जनप्रतिनिधि होने के नाते बच्चो को समझाईस दिया जिसमें सुरेन्द्र दुबे द्वारा मेरे बच्चो को क्यो मना कर रहे हो कहकर झूठी रिपोर्ट थाना तुमगांव में किया गया। सुरेन्द्र दुबे एवं उसकी पत्नि से काई भी दुर्व्यवहार एवं गाली गलौच नही की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द ने 03 सदस्यीय जांच अधिकारी श्री सी.पी. चन्द्राकर समाज शिक्षा संगठक, जनपद पंचायत महासमुन्द, श्री चंद्रजीत चंदेल सहा.आ.लेखा, परी. एवं करा अधि. जनपद पंचायत महासमुन्द, श्री अमित कुमार हलदार स.वि.वि.अधि. जनपद पंचायत महासमुन्द को जांच अधिकारी नियुक्त कर जॉच करवाया गया जांच प्रतिवेदन अनुसार :–

1- धान उपार्जन केंद्र कांपा का समतलीकरण हेतु 15 वें वित्त मद से राशि आहरण। <u>तथ्य एवं निष्कर्ष</u> :– सरपंच ग्राम पंचायत कांपा द्वारा लिखित बयान में स्वीकारोक्ति किया है कि धान

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार, महासमुन्द

[3] (165)

उपार्जन केंद्र कांपा में भुमी समतली कार्य में 48000/– रूपये 15वें वित्त मद से ICICI बैंक **महासमुन्द खाता** क्र 084101000741 दिनांक 08.02.2021 को श्री गणेश साहू ग्राम कांपा को **आनलाईन** भुगतान किया गया है। श्री गणेश साहू ग्राम कांपा सरपंच का भाई है। संलग्न **देयक प्रमाण**क मुकेश ट्रेडर्स कांपा (तुमगांव) प्रमाण क्रमांक व दिनांक 09/01.03.2021 है। **प्रमाणक** में जी.एस.टी नम्बर नही है। मजदुरों का देयक मस्टर रोल संलग्न नही है। कार्य का **प्राक्कलन** एवं तकनीकी स्वीकृति नही है।

संलग्न किये गये लेखा देयकों का सत्यापन छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 व छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 में निधियों का आहरण ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन है एवं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की प्रमाणित प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न होनी चाहिए। जो सरपंच/सचिव के द्वारा नही किया गया है। छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 पृष्ठ क्रमांक 713 आवलोकनीय है।

2. :– गली सफाई के नाम से 15वें वित्त मद की राशि से अपने भाई के नाम पर आनलाईन भुगतान। **तथ्य एवं निष्कर्ष :–** सरपंच ग्राम पंचायत कांपा द्वारा लिखित बयान में स्वीकारोक्ति किया है कि गली सफाई कार्य के नाम से 15वें वित्त मद से 20000/–रूपये की राशि 15वें वित्त मद से ICICI बैंक महासमुन्द खाता क्र 084101000741 दिनांक 08.02.2021 को श्री गणेश साहू ग्राम कांपा को आनलाईन भुगतान किया गया है। श्री गणेश साहू ग्राम कांपा सरपंच का भाई है। संलग्न देयक प्रमाणक मुकेश ट्रेडर्स कांपा (तुमगांव) प्रमाणक क्रमांक व दिनांक 24/01.03.2021 है। प्रमाणक में जी.एस.टी नम्बर नही है। मजदुरों का देयक मस्टर रोल संलग्न नही है। कार्य का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति नही है।

संलग्न किये गये लेखा देयकों का सत्यापन छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 व छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 में निधियों का आहरण ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन है एवं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की प्रमाणित प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न होनी चाहिए। जो सरपंच/सचिव के द्वारा नही किया गया है। छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 पृष्ठ क्रमांक 713 आवलोकनीय है।

3. :– ग्राम परसवानी में बिना गली सुदृढीकरण हेतु 15वें वित्त मद से अपने भाई गणेश साहू के नाम राशि का भुगतान। **तथ्य एवं निष्कर्ष :–** सरपंच ग्राम पंचायत कांपा द्वारा लिखित बयान में स्वीकारोक्ति किया है कि आश्रित ग्राम परसवानी में 15वें वित्त मद से गली सुदृढीकरण कार्य के नाम पर 45000/– रूपये की राशि 15वें वित्त मद से ICICI बैंक महासमुन्द खाता क्र 084101000741 दिनांक 01.03.2021 को श्री गणेश साहू ग्राम कांपा को आनलाईन भुगतान किया गया है। श्री गणेश साहू ग्राम कांपा सरपंच का भाई है। संलग्न देयक प्रमाणक मुकेश ट्रेडर्स कांपा (तुमगांव) प्रमाणक क्रमांक व दिनांक 17/01.03.2021 है। प्रमाणक में जी.एस.टी नम्बर नही है। मजदुरों का देयक मस्टर रोल संलग्न नही है। कार्य का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति नही है।

संलग्न किये गये लेखा देयकों का सत्यापन छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 व छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 में निधियों का आहरण

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार महासमुन्द

CANCELLED CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि

ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन है एवं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की प्रमाणित प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न होनी चाहिए। जो सरपंच/सचिव के द्वारा नही किया गया है। छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 पृष्ठ क्रमांक 713 आवलोकनीय है।

4. :– ग्राम कांपा में बिना गली सुदृढीकरण हेतु 15वें वित्त मद से अपने भाई गणेश साहू का फर्जी बिल का भुगतान। **तथ्य एवं निष्कर्ष :–** सरपंच ग्राम पंचायत कांपा द्वारा लिखित बयान में स्वीकारोक्ति किया है कि ग्राम कांपा में 15वें वित्त मद से गली सुदृढीकरण कार्य के नाम पर 45000/– रूपये की राशि 15वें वित्त मद से ICICI बैंक महासमुन्द खाता क्र 084101000741 दिनांक 18.03.2021 को श्री देवेंद्र साहू ग्राम कांपा को आनलाईन भुगतान किया गया है। श्री देवेंद्र साहू ग्राम कांपा सरपंच का भतीजा है। संलग्न देयक प्रमाणक मुकेश ट्रेडर्स कांपा (तुमगांव) प्रमाणक क्रमांक व दिनांक 24/18.03.2021 है। प्रमाणक में जी.एस.टी नम्बर नही है। मजदुरों का देयक मस्टर रोल संलग्न नही है। कार्य का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति नही है।

संलग्न किये गये लेखा देयकों का सत्यापन छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 व छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 में निधियों का आहरण ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन है एवं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की प्रमाणित प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न होनी चाहिए। जो सरपंच/सचिव के द्वारा नही किया गया है। छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 पृष्ठ क्रमांक 713 आवलोकनीय है।

5. :– ग्राम कांपा के बडे तालाब जाने के रास्ता में सी.सी.रोड मरम्मत के नाम अपने भतीजा श्री देवेंद्र साहू का बिल लगाकर 15वें वित्त मद से भुगतान किया गया। **तथ्य एवं निष्कर्ष :–** सरपंच ग्राम पंचायत कांपा द्वारा लिखित बयान में स्वीकारोक्ति किया है कि ग्राम कांपा में 15वें वित्त मद से बडे तालाब जाने के रास्ता में सी.सी.रोड मरम्मत कार्य के नाम पर 44100/– रूपये की राशि 15वें वित्त मद से ICICI बैंक महासमुन्द खाता क्र 084101000741 दिनांक 30.06.2021 को श्री देवेंद्र साहू ग्राम कांपा को आनलाईन भुगतान किया गया है। श्री देवेंद्र साहू ग्राम कांपा सरपंच का भतीजा है। संलग्न देयक प्रमाणक मुकेश ट्रेडर्स कांपा (तुमगांव) प्रमाणक क्रमांक व दिनांक 02/30.06.2021 है। प्रमाणक में जी.एस.टी नम्बर नही है। मजदुरों का देयक मस्टर रोल संलग्न नही है। कार्य का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति नही है।

संलग्न किये गये लेखा देयकों का सत्यापन छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 व छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 में निधियों का आहरण ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन है एवं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की प्रमाणित प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न होनी चाहिए। जो सरपंच/सचिव के द्वारा नही किया गया है। छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 पृष्ठ क्रमांक 713 आवलोकनीय है।

6. :– लॉकडाउन में कोरोना सेंटर में मजदूरों के लिए राशन सामान क्रय कर हरषू किराना स्टोर्स रायपुर का बिल लगाकर 14वें वित्त मद से भुगतान किया गया। **तथ्य एवं निष्कर्ष :–**

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार, महासमुन्द

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 भारत दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED CANCELLED

सरपंच ग्राम पंचायत कांपा द्वारा लिखित बयान में स्वीकारोक्ति किया है कि वर्ष 2020 में **कारोना काल में प्रवासी** श्रमिकों कों जिनकी संख्या 74 है को क्वारंटाईन सेंटर बिरकोनी एवं **कांपा में ठहराया गया था।** जिसकी राशन व्यवस्था के भुगतान हेतु 14वें वित्त मद से **70000/–** रूपये की राशि दिनांक 11.06.2020 एवं 66150/– रूपये की राशि दिनांक 19.**06.**2020 को हरषु किराना स्टोर्स रायपुर को आनलाईन भुगतान किया गया है। संलग्न देयक प्रमाणक क्रमांक एवं दिनांक 37/29.06.2020 है। संलग्न देयक प्रमाणक हरषु किराना स्टोर्स रायपुर प्रमाणक क्रमांक व दिनांक 37/29.06.2020 है। प्रमाणक में जी.एस.टी नम्बर नही है। राशन सामाग्री स्थानीय जिला महासमुन्द से क्रय किया जा सकता था। परन्तु बाहर जिला रायपुर से राशन सामाग्री क्रय करना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

संलग्न किये गये लेखा देयकों का सत्यापन छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 व छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 में निधियों का आहरण ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन है एवं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की प्रमाणित प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न होनी चाहिए। जो सरपंच के द्वारा नही किया गया है। छत्तीसगढ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 पृष्ठ क्रमांक 713 आवलोकनीय है।

7. :– ग्राम कांपा के किसान पुरूषोत्तम मिर्धा को मारपीट किया गया। **तथ्य एवं निष्कर्ष :–** श्री पुरूषोत्तम मिर्धा पिता धनाराम मिर्धा वार्ड क्रं.12 थाना तुमगांव जिला महासमुन्द का निवासी से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 01.10.2021 को सरपंच व पुरूषोत्तम मिर्धा के बीच विवाद होना बताया गया है। श्री पुरूषोत्तम मिर्धा द्वारा घटना से संबंधित लिखित आवेदन आरक्षी केंद्र तुमगांव में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण थाना में विचाराधीन है।

8. :– पंच श्री सुरेंद्र दुबे की अनुपस्थिति में उनकी पत्नि को अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दिया गया। **तथ्य एवं निष्कर्ष :–** उक्त घटना का प्राथमिकी सूचना प्रतिवेदन धारा 154 दण्डप्रक्रिया संहिता के तहत आरक्षी केंद्र तुमगांव में पंजीबद्ध एवं प्रक्रियाधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की दर्ज संख्या 0258 दिनांक 08.11.2021 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की दर्ज संख्या 0086 दिनांक 25.03.2022 की प्रति संलग्न है।

जॉच अधिकारी का अभिमतः– ग्राम पंचायत कांपा, जांच शिकायत विवरण कें 08 बिंदु, सरपंच/सचिव के लिखित बयान, उनके तथ्य तथा निष्कर्ष तथा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर जांच दल का अभिमत निम्नानुसार है :–सरपंच ग्राम पंचायत कांपा श्री गजानंद साहू द्वारा धान उपार्जन केंद्र समतलीकरण कार्य में व्यय 48000/– रूपये, गली सफाई कार्य कांपा में व्यय 20000/–, गली सुदृढीकरण कार्य परसवानी में व्यय राशि 45000/– रूपये, कुल व्यय राशि 113000/– रूपये की राशि 15वें वित्त मद से **ICICI** बैंक महासमुन्द खाता क्र 084101000741 दिनांक 08.02.2021 व दिनांक 01.03.2021 गणेंश साहू को आनलाईन भुगतान किया है। गणेश साहू सरपंच का भाई है। तथा गली सुदृढीकरण कार्य कांपा व्यय राशि 45000/–,सी.सी.रोड मरम्मत कार्य कांपा व्यय राशि 44100/– कुल व्यय 89100/– रूपये की राशि 15वें वित्त मद से **ICICI** बैंक महासमुन्द खाता क्र 084101000741 दिनांक 18.03.2021 व दिनांक 30.06.2021 को देवेंद्र साहू को आनलाईन भुगतान किया है। देवेंद्र साहू सरपंच का भतीजा है। इस प्रकार सरपंच

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार, महासमुन्द

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
CANCELLED CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि

ग्राम पंचायत कांपा द्वारा 15वें वित्त मद से कुल 202100/— रूपये की राशि अपने भाई एवं भतीजे को आनलाईन भुगतान किया गया है।

इस तरह से सरपंच द्वारा वित्तीय संचालन छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 40, उप धारा (ग) एवं छ0ग0 ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 17, नियम 20 के प्रावधानों का उल्लंघन व अवहेलना है। छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 पृष्ठ क्रमांक 74 व 713 अवलोकनीय है। ग्राम पंचायत निधि का वित्तीय संचालन सरपंच/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 धारा 66 उप धारा 4 (1) में प्रावधान है। छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 पृष्ठ क्रमांक 108 अवलोकनीय है।

सरपंच द्वारा क्रय व ग्राम पंचायत मे अर्जित सामाग्री का सचिव ग्राम पंचायत द्वारा भंडार पंजी में अभिलिखित नही किया गया है। एवं क्रय सामाग्री व प्रस्तुत देयक प्रमाणकों का, सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित नही कराया गया है। जो छ0ग0 ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 56 नियम 57 नियम 58 नियम 59 नियम 60 में प्रावधानों का उल्लंघन व अवहेलना है।

प्रकरण में **ICICI** बैंक महासमुन्द खाता क्र 084101000741 से दिनांक 08.02.2021 को 48000/— रूपये, दिनांक 08.02.2021 को 20000/— रूपये, दिनांक 01.03.2021 को 45000/— रूपये गणेश साहू को कांपा जो सरपंच का भाई है को आनलाईन भुगतान तथा दिनांक 18.03.2021 को 45000/— रूपये, दिनांक 30.06.2021 को 44100/— रूपये देवेंद्र साहू कांपा जो सरपंच का भतीजा है को आनलाईन भुगतान, दिनांक 11.06.2020 को 70000/— रूपयें व दिनांक 19.06.2020 को 66150/— रूपये की राशि, हरषु किराना स्टोर्स रायपुर को आनलाईन भुगतान किया गया है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत के वित्तीय संचालन छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 40, उप धारा के प्रयोजन के लिए अवचार के अंतर्गत (ग), धारा 66 के उपधारा 2,3,4 तथा छ0ग0 ग्राम पंचायत लेखा नियम 17 नियम 20 नियम 37 नियम 38 नियम 39 नियम 56 नियम 57 नियम 58 नियम 59 नियम 60 में प्रावधानों का उल्लंघन व अवहेलना है। जो वित्तीय अनियमितता के श्रेणी में है।

छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 के पृष्ठ क्रमांक 74,108,713,715,719,833,835 अवलोकनीय है।

अनावेदक गजानंद साहू के द्वारा ग्राम पंचायत कांपा के सरपंच पद में रहते हुए मनमानी पूर्वक, अपने अधिकार क्षेत्र के परे रहते हुए घोर कदाचार या अपचार कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाकर अपने पद के दायित्व के उचित निर्वाह में घोर उपेक्षा किया है। प्रकरण में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में कुछ मामलों में सचिव को उत्तरदायी माना गया है उसके लिए पृथक से प्रशासनिक कार्यवाही का प्रावधान अन्य विधियों में निहित होने के कारण इस प्रकरण में शामिल नही किया जा रहा है।

प्रकरण में प्रस्तुत जॉच अधिकारियों के उपरोक्त जॉच की कंडिका 01 से 06 में वित्तिय अनिमियतता पाई गई है जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक सरपंच द्वारा अपने नातेदारो को आर्थिक फायदा पहुंचाने की नियत से कार्य किया गया है, एवं शासन को आर्थिक हानि पहुंचाकर स्वयं के लाभ लेने की नियत से कार्य किया जाना दर्शित हो रहा है जो कि वित्तिय

सत्य प्रतिलिपि

अनिमियतता की श्रेणी में आता है अनावेदक सरपंच द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण में प्रस्तुत जॉच से विपरीत एवं संतोषप्रद नही है।

उपरोक्त तथ्यों के परिशीलन से मै यह निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदकगण सुरेन्द्र दुबे पंच ग्राम पंचायत कांपा एवं अन्य 06 पंचगण ग्राम पंचायत कांपा के द्वारा लगाये गये आरोप एवं जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर यह साबित होता है कि उपरोक्त जांच एवं साक्ष्य अनावेदक गजानंद साहू सरपंच ग्राम पंचायत कांपा के विरूद्ध धारा 40 छ.ग. पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का पर्याप्त आधार है इसलिए अनावेदक गजानंद साहू को ग्राम पंचायत कांपा के सरपंच पद से पृथक किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02/08/2022 को पारित व घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

क्रमांक / 574 / वा–2 / अ.वि.अ. / 2022 महासमुंद, दिनांक 02 / 08 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय (वाचक शाखा), जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उप संचालक, पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनावेदक गजानंद साहू, सरपंच ग्राम पंचायत कांपा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महासमुन्द

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार, महासमुन्द

10रु. Rs.10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES
CANCELLED CANCELLED